मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष संचालन समिति उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2019 को नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की संचालन समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 05 फरवरी, 2019 को श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की संचालन समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहेः–

1. श्रीमती रंजना काला, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, (प्रतिनिधि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HoFF)उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)
2. श्री मोनीष मल्लिक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री पंकज अग्रवाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री वी.के. गांगटे, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत (प्रतिनिधि नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–संचालन समिति, उ0 कैम्पा)
5. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)
6. श्री निदेश वर्मा, संयुक्त सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)
7. श्री कृष्ण सिंह, संयुक्त सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)
8. श्री समीर सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्रीः–

9. श्री एस.टी.एस. लेप्चा, सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
10. श्री एस.वी. शर्मा, मुख्य वन संरक्षक, नमामि गंगे परियोजना, उत्तराखण्ड।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सर्वप्रथम सदस्यगणों को कैम्पा की पृष्ठभूमि एवं इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा कैम्पा में विभिन्न घटकों के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। तदोपरान्त सदस्य सचिव द्वारा नवगठित उत्तराखण्ड की अधिसूचना

एवं इसके क्रम में भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत विभिन्न आदेशों/निर्देशों के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया। उक्त के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2016 को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016(CAF ACT 2016) अधिसूचित किया गया है, जो कि दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से विधिवत लागू हो गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया कि नवगठित कैम्पा का यह प्रथम वर्ष है जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है, चूंकि इसके प्रारम्भ होने से अधिसूचित CAF ACT 2016व इसके क्रम मे भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2018 को निर्गत **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली 2018** में निहित प्राविधानों के अनुसार ही नवगठित कैम्पा के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां सम्पादित की जानी है।
- अधिनियम की धारा 10(1) के प्राविधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि और योजना प्राधिकरण' का गठन किया गया है।
- अधिनियम की धारा4(1)में दिए प्राविधानों के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या1010/X-4-18/3(02)/2018 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के माध्यम से 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' का गठन किया गया है।
  उक्त के सम्बन्ध में समिति अवगत हुई कि उत्तराखण्ड देश का पहला प्रदेश है जिसके द्वारा उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का गठन किये जाने तथा इसकी अधिसूचना जारी होने सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि (30 सितम्बर, 2018) से पूर्व पूर्ण करा ली गयीं।
- भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक–11-100/2015-FC(Vol.III)दिनांक 28.09.2018 से इस अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय प्रावधानों के क्रियान्वयन को 31 मार्च, 2019 तक स्थगित किया गया।

  उपरोक्त से अवगत होने के उपरान्त सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी :–

कार्यसूची संचालन समिति 14.1 :

- **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 का क्रियान्वयन**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा इसके क्रम में निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली 2018 के मुख्य बिन्दु के सम्बन्ध में समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

(क) पूर्व में कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना को कैम्पा की कार्यकारी समिति की संस्तुति व संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जाता था। कैम्पा अधिनियम 2016 व नियमावली 2018 लागू होने के उपरान्त अधिनियम की धारा–18 (i)

के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति द्वारा तैयार कर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति के स्तर से संस्तुति उपरांत, अंतिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रेषित किया जायेगा।

(ख) धारा–15 (i) अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा संस्तुत वार्षिक कार्ययोजना को राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा उचित संशोधन उपरान्त प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्तर्गत स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा–5 (a) (i) के अनुसार उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के गठन के उपरांत ऐड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार के पास राज्य कैम्पा की विभिन्न मदो में कुल जमा/अवशेष धनराशि का 90 प्रतिशत, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा–4 (1) में गठित राज्य निधि (Public Account) में हस्तांतरित किया जायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा–4 (3) (iii) में उल्लेखित प्राविधान अनुसार अधिनियम लागू होने के उपरांत वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के एवज में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विभिन्न मदों में जमा कराये जाने वाली धनराशि सीधे राज्य निधि में जमा की जायेगी। जिसका 10 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जायेगा।

(घ) अधिनियम, 2016 की धारा 11(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं धारा 11(3) के अंतर्गत कार्यकारी समिति में 02 गैर सरकारी संगठनों एवं 02 जिला स्तरीय पंचायती राज संगठनों के प्रतिनिधि एवं एक जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि को नामित किया जाना है, जिस हेतु प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि को, उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति में अधिनियम में निहित प्राविधानों अनुसार गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन सम्बन्धी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यसूची संचालन समिति 14.2 : वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष वित्तीय प्रगति

14.2.1 : समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड कैम्पा की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ₹ 31830.00 लाख के सापेक्ष उत्तराखण्ड कैम्पा को वर्ष 2018–19 में एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार से वर्तमान तक ₹ 30300.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष दिनांक 30.01.2019 तक विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों को ₹ 10527.15 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष एम0आई0एस0 में दर्ज वित्तीय प्रगति के अनुसार ₹ 4057.24 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है, जो कि अवमुक्त धनराशि का 38.41% है। समिति के समक्ष क्रियान्वयन

अभिकरणों को कैम्पा निधि से विभिन्न घटकों के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी व उसके सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :

धनराशि लाख ₹

विवरण	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	**कुल योग**
अवमुक्त धनराशि	3114.91	1444.36	5185.92	817.86	**10563.05**
व्यय धनराशि	1189.32	223.32	2464.59	180.01	**4057.24**
व्यय प्रतिशत	38.18	15.46	47.52	22.00	**38.41**

अध्यक्ष संचालन समिति द्वारा व्यय की अति न्यून प्रगति से असंतोष व्यक्त करते हुए, उपस्थित अधिकारियों से इसके कारण जानने की चेष्टा की गयी। इस सम्बन्ध में कार्ययोजना को क्रियान्वित करने में फील्ड संबंधी व्यवहारिक कठिनाईयों एवं अपेक्षित प्रगति प्राप्त न होने संबंधी अन्य कारणों के संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया:–

(i) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2018 की तिथि से लागू किया गया है। इसके क्रम में भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2018 को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 तथा इस हेतु दिनांक 20 नवम्बर, 2018 अधिसूचित लेखाकरण प्रक्रिया निर्गत की गई है। समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा की नयी व्यवस्था 30 सितम्बर, 2018 से लागू होनी थी, जिस कारण कैम्पा निधि से संबंधित समस्त खातों को कुछ समय के लिए Freeze किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्गत लेखाकरण प्रक्रिया की नयी व्यवस्था के कार्यान्वयन का यह प्रारम्भिक वर्ष है, जिससे इसकी कार्यवाही में समय लग रहा है। इन कारणों से भी व्यय में कुछ कमी परिलक्षित हुई है।

(ii) प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया कि वन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में फील्ड में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रथम पंक्ति के फील्ड स्टाफ की भारी कमी है। फील्ड स्तर के प्रभागीय वनाधिकारियों पर एक से अधिक कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार है, जिसके कारण भी कार्यों की गति पर विराम लग रहा है। इस बिन्दु को संचालन समिति से पूर्व कार्यकारी समिति की बैठक में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा भी सदस्यों के सम्मुख प्रकाश में लाया गया था। संचालन समिति द्वारा इस संबंध में शासन से विभाग के प्रतिनिधि से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रभागों में प्रभागीय वनाधिकारियों की तैनाती हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यावाही संपन्न की जाये।

(iii) मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कतिपय वन प्रभागों द्वारा धनराशि का समुचित उपयोग किया जा चुका है, किन्तु भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यों की एम.आई.एस. में प्रविष्टि से पूर्व किये गये कार्यों की अक्षांश देशान्तर सहित स्थलीय फोटोग्राफस भी उपलोड किये जाने अनिवार्य हैं जिनके लिये इंटरनेट की भी अनिवार्यता है। जिससे कुछ प्रभागों द्वारा व्यय की वास्तवित प्रगति व एम.आई.एस. में की गयी

प्रविष्टि में अन्तर प्रदर्शित है। उन सम्बन्धित प्रभागों द्वारा किये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स अपलोड किये जाने की कार्यवाही करते ही एम.आई.एस. में वास्तवित प्रगति दिखाई देगी।

अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रत्येक स्तर पर गहन/यथोचित अनुश्रवण किये जाने तथा लक्ष्यों को मानकों के अनुरूप निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों व पूर्व में संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कैम्पा कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के माध्यम से करवाया जा रहा है।

14.2.2 : क्षतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति

समिति को उत्तराखण्ड कैम्पा के गठन से अब तक कुल 26808.50 है0 लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2018–19 तक प्रभागों को कुल आवंटित 21425.15 है0 के लक्ष्यों के सापेक्ष 18576.81 है0 की प्राप्त भौतिक प्रगति (04 फरवरी, 2019 तक) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। साथ ही इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 मे 3500 है0 क्षतिपूरक वनीकरण कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं, जिसे अवशेष लक्ष्यों व क्षतिपूरक वनीकरण की भौतिक उपलब्धि का अन्तर सीमित हो गया है। प्रभागों को वर्षवार आवंटित क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:–

वर्ष	वर्षवार आवंटित भौतिक लक्ष्य (है0)	भौतिक प्राप्ति (है0)
2011-2012	3972.52	3843.43
2012-2013	715.38	438.77
2013-2014	3080.84	2696.25
2014-2015	2078.00	2077.91
2015-2016	1432.90	1245.24
2016-2017	3155.01	2886.00
2017-2018	3476.51	3474.21
2018-2019	3514.00	1915.00 (04.02.2019 की स्थिति)
योग	**21425.15**	**18576.81**

क्षतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा चार धाम मार्ग एवं ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लिंक सम्बन्धी वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के सापेक्ष अब तक हुई प्रगति के विषय में जानकारी ली गयी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक चार धाम व रेलवे लिंक के अन्तर्गत कुल 1657.41 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2018–19 में 675.89 है0 में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य सम्पादित किया गया है एवं 250 है0 क्षेत्र में वर्ष 2019–20 में कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा में निर्धारित नीतिगत नियमों के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष पूर्व चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाते हैं, चीड़ प्रजाति का रोपण नही किया जाता है। वृक्षारोपणों में 40 प्रतिशत फल प्रजाति की पौधों एवं अन्य प्रजातियां क्षेत्र की मृदा एवं जलवायु के आधार पर मिश्रित रूप (चारा, ईंधन, औषधिपादप शोभाकार प्रजातियां आदि) से लगायी जाती हैं।इसके अतिरिक्त कैम्पा के एन.पी.वी. मद के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में ओक तथा देवदार वनीकरण भी कराया जाता है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा कैम्पा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत अब तक किये गये 18576 है0 वृक्षारोपणों के अन्तर्गत प्रयोग की गयी प्रजातिवार पौधों का विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि तेरहवीं संचालन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपणों को ए.एन. आर. के माध्यम से कराये जाने की पहल की जा रही है। इस हेतु विभागीय स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी है, जो कि इसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श उपरान्त तकनीकी परामर्श देगी, ताकि तद्नुसार क्रियान्वयन हेतु विभागीय नीति तैयार की जा सके।

उक्त की समीक्षा पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कैम्पा के अन्तर्गत सम्पादित वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत एवं इसकी मॉनिटरिंग के सम्बन्ध में भी जानकारी चाही गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कैम्पा के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपणों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य विभाग के मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा सत्त रूप से किया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार के निर्देशानुसार कैम्पा कार्यों की वन अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार द्वारा भी की जा रही है। अनुश्रवण रिपोर्ट अनुसार सफलता प्रतिशत के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं।

वन अनुसंधान संस्थान द्वारा अब तक उनके द्वारा किये गये तृतीय पक्ष मूल्यांकन (अनुश्रवण कार्यों) की उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट को भी समिति के समक्ष रखा गया।

क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए, मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि चार धाम मार्ग, रेलवे लिंक परियोजना मा0 प्रधानमंत्री जी की अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना है, अतः इससे सम्बन्धित क्षतिपूरक वनीकरण कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।

14.2.3 :कैट प्लान की प्रगति

समिति को प्रदेश के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित विभिन्न कैट प्लानों (श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, लाता–तपोवन, तपोवन–विष्णुगाड, सिंगोली–भटवाड़ी, फाटा व्यूंग, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, विष्णुगाड़–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना, व्यासी जल विद्युत परियोजना, भ्यूंडार गंगा जल विद्युत परियोजना) की कुल परियोजना लागत, स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें द्वारा प्राप्त संस्तुति उपरान्त उसके सापेक्ष प्रभागों को कैम्पा गठन से अब तक कुल आवंटित ₹ 8269.73 लाख की धनराशि व उसके सापेक्ष कुल ₹ 5628.16 लाख के व्यय की प्रगति से अवगत कराया गया। कैट प्लान वार अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष प्राप्त वित्तीय प्रगति की स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत की गयी :–

Name of CAT	Total Cost of Project	Released	Exp.	Progress % against released
1	2	4	5	6
Srinagar H.E.P.	2176.45	1738.14	1420.61	82
Lata Tapovan	1621.76	842.61	679.44	81
Tapovan - Vishnugad	4329.85	2426.87	1876.44	77
Singoli -Bhatwari	1272.15	631.57	539.21	85
Phatta- Byung	894.69	519.44	402.75	78
Lakhwar H.E.P.	8586.25	416.64	91.42	22
Vishnugad- Pipalkoti H.E.P.	4707.4	1432.26	479.77	33
Vyasi H.E.P	1894.41	136.65	78.22	57
Bhyundar Ganga H.E.P.	281.59	7.57	6.17	82
CATPMU		117.98	54.13	46
Total	**25764.55**	**8269.73**	**5628.16**	**68**

कैट प्लान की समीक्षा में अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्यतः लखवाड़ जल परियोजना एवं व्यासी जल विद्युत परियोजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। बैठक में उपस्थित प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें से इन कैट प्लानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में जानकारी चाही गई कि जब जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा धनराशि पूर्व में जमा करायी जा चुकी है, तो इसके अन्तर्गत प्रभागों को धनराशि का आवंटन क्यों नही हो पा रहा है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों/प्रभागों द्वारा कैट प्लान संबंधी प्रस्तावों को प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड को उचित माध्यम से उपलब्ध करवाये जाने तथा प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड द्वारा इनका मानकों के अनुरूप परीक्षण किये जाने के उपरांत, इस पर उनके स्तर से प्राप्त संस्तुति के आधार पर ही वार्षिक कार्ययोजना में कैट प्लान हेतु धनराशि प्राविधानित की जाती है।

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें द्वारा इस विषय में अवगत कराया गया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना की डी.पी.आर. दिनांक 29.08.2016 को ही अनुमोदित हुई है एवं डी.पी.आर. अनुमोदन उपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को लखवाड़ कैट प्लान हेतु धनराशि प्रदान किये जाने की संस्तुति पश्चात उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 को इस कैट प्लान से सम्बन्धित वन प्रभागों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ सं0–04 अनुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है। व्यासी जल विद्युत परियोजना की डी.पी.आर. अभी अन्तिमीकृत होनी शेष है, इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने में कुछ समय लग सकता है, शीघ्र ही डी.पी.आर. अन्तिमीकृत होने व इसके अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित वन प्रभागों को धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रेषित किया जायेगा।

अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैट प्लान सम्बन्धी कार्य भी क्षतिपूरक वनीकरण की तरह स्थल विशिष्ट एवं समयबद्ध कार्य हैं जिन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण

किया जाना आवश्यक है। अतः इन पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें तीव्रता लायें व इनका मानकों के अनुरूप समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

14.2.4 :कैम्पा द्वारा वन पंचायतों की गतिविधियों हेतु वित्तपोषण की स्थिति

समिति को उत्तराखण्ड में वन पंचायतों के स्वरूप के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में सशक्त सामाजिक पूंजी के रूप में लगभग 12168 वन पंचायतें हैं, जिनके द्वारा वर्तमान में लगभग 7,32,688 है0 वन क्षेत्रों का प्रबन्धन किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को प्रदेश के अन्तर्गत कुल 12168 वन पंचायतों का क्षेत्रफलवार वर्गीकरण से निम्नानुसार अवगत कराया गया:—

वन पंचायत क्षेत्रफल (है0 में)	संख्या	प्रतिशत
1 है0 से कम	342	2.81
1 है0 से 5 है0	2345	19.27
5 है0 से 10 है0	2223	18.27
10 है0 से 20 है0	2343	19.26
20 है0 से अधिक	4915	40.39
कुल वन पंचायतें	**12168**	**100**

अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत से वन पंचायतों के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त किया गया। मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा वन पंचायतों के अन्तर्गत क्रियान्वयन से पूर्व माइक्रोप्लान तैयार किये जाने से लेकर वन पंचायतों की विभिन्न गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने तक की पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा वर्ष 2018–19 में वन पंचायतों के अन्तर्गत कुल अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की प्रगति की समीक्षा की गयी। समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा 4000 वन पंचायतों को पहली बार वनाग्नि सुरक्षा के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारियों के माध्यम से कुल ₹ 350 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक एम0आई0एस0 अनुसार ₹ 185.44 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में विभिन्न प्रभागों को लगभग 700 वन पंचायतों में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण मद के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों (882 है0 में चारागाह विकास, ए0एन0आर0, सर्वे सीमांकन कार्य, मृदा जल संरक्षण, नर्सरी विकास, वन पंचायतों का प्रशिक्षण, माइक्रोप्लान तैयार करना इत्यादि) हेतु₹ 1053.68 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 405.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, जो कि लगभग 38 प्रतिशत है।

व्यय की उक्त प्रगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत से इसके कारणों की जानकारी चाही गयी। मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा समिति को पुनः अवगत कराया गया कि कैम्पा द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि को विभिन्न मदों में व्यय किया जा चुका है, किन्तु कैम्पा एम.आई.एस. में किये गये कार्यों की फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. लोकेशन की अनिवार्यता के दृष्टिगत व्यय की गयी धनराशि की एम.आई.एस. में पूर्ण प्रविष्टि नही हो पायी है, इसमें कुछ समय लग रहा है शीघ्र ही इसे पूर्ण कर लिया जायेगा। वन पंचायतों के अन्तर्गत प्रभागों को अवमुक्त धनराशि में कुछ धनराशि अग्रिम मृदा कार्य एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित है, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत माह मार्च तक व्यय किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वन पंचायतों के अन्तर्गत अन्य महत्वपूर्ण व वचनबद्ध गतिविधियों के अन्तर्गत जो धनराशि उपलब्ध है, इसे मानकों के अनुरूप व्यय किये जाने हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि क्रियान्वयन अभिकरण उपयोग की जाने वाली धनराशि को समय से लेखाबद्ध भी कर रहे हों। प्रदेश में वन पंचायतों की वर्तमान संख्या के अनुसार, कार्ययोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में वन पंचायतों की सीमित सहभागिता प्रतीत हो रही है। अतः आगामी कार्ययोजना तैयार करते समय अधिक से अधिक वन पंचायतों को इसमें सम्मिलित किये जाने का प्रयास किया जाय।

बैठक में द्वारा वन पंचायतों में वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में योगदान के लिए वन पंचायतों को वनाग्नि सुरक्षा के अन्तर्गत पारिश्रमिक के स्थान पर नियत प्रोहसाहन राशि (Incentive) प्रदान किये जाने संबंधी सुझाव दिया गया। इसके लिए मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक मॉडल तैयार कर पृथक से प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि गतवर्षों की भांति इस वर्ष भी वन पंचायतों को वनाग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत वनाग्नि काल से पूर्व धनराशि अवमुक्त की जाय ताकि सम्बन्धित वन प्रभाग/वन पंचायतें वनाग्नि सुरक्षा सम्बन्धी तैयारियां समयान्तर्गत पूर्ण कर लें।

14.2.5 : मृदा एवं जल संरक्षण कार्य की प्रगति

समिति के सदस्यो को अवगत कराया गया कि राज्य का अधिकांश भू–भाग वनआच्छादित है। राज्य में मृदा एव जल संरक्षण मा0 मुख्य मंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत कैम्पा द्वारा विगत दो वर्षों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गया है। वर्ष 2017–18 में उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत विभिन्न क्षमताओं के 887 जलकुण्डों का निर्माण कर लगभग 2.8 करोड़ लीटर की क्षमता एवं वर्ष 2018–19 में 1272 जलकुण्डों का निर्माण कर लगभग 5.0 करोड़ लीटर जल ग्रहण क्षमता विकसित की गई। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के अन्तर्गत भी 1600 जलकुण्डों का निर्माण कर लगभग 7.0 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित किया जाना अनुमानित है। जिसका विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:–

वर्ष	विभिन्न क्षमता के जलकुण्ड	2.5 लाख ली0	1 लाख ली0	50 हजार ली0	20 हजार ली0	योग	व्यय धनराशि (लाख ₹)
2017–18	संख्या	20	14	150	703	887	233.24
	जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)	0.50	0.14	0.75	1.4	2.79	
2018–19 (प्रगति पर)	संख्या	42	44	407	779	1272	322.59
	जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)	1.05	0.44	2.03	1.55	5.07	
2019–20 प्रस्तावित	संख्या	60	70	620	850	1600	450.00
	जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)	1.50	0.70	3.10	1.70	7.00	

समिति को अवगत कराया गया कि मृदा एवं जल संरक्षण मद के अंतर्गत मृत प्राय नदियों के पुर्नजीवन के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में रिवर फ्रन्ट डेवलेपमैन्ट उपमद में अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत ₹ 500.00 लाख की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक लगभग ₹ 200 लाख की धनराशि से कोसी नदी के जीर्णोद्वार/उपचार संबंधी कार्य संपादित किये गये है।

अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा के अन्तर्गत वनीकरण कार्यों के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जानी आवश्यक है। इस पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा बताया गया कि कैम्पा के अन्तर्गत समस्त कार्यों की भारत सरकार द्वारा संचालित ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि अनिवार्य है। अतः कैम्पा के अन्तर्गत समस्त कार्यो की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल के माध्यम से कार्यों की भौतिक प्रगति व ऑनलाईन मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

उपरोक्त पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानना चाहा कि उक्त कार्यो हेतु स्थलों का चयन किस प्रकार होता है एवं इन कार्यों की प्रगति से उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, इसका भी अवश्य अध्ययन किया जाना चाहिए। समिति को अवगत कराया गया कि क्रियान्वयन इकाईयों/प्रभागों के स्तर पर तैयार की गई/की जाने वाली 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना में संबंधित गतिविधियों एवं उनको जिन स्थलों में सम्पादित किया जाना है उनके चयनित/उपयुक्त स्थलों का विवरण भी अंकित होता है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी कि किसी भी गतिविधि को प्रारम्भ किये जाने व उसे सम्पादित किये जाने पर वित्तीय एवं भौतिक अनुश्रवण के साथ साथ उसके परिणामी अनुश्रवण (Outcome Monitoring) पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाय। इसके लिए उत्तराखण्ड कैम्पा में यदि अनुश्रवण के उद्देश्य से अन्य कार्मिकों की आवश्यकता हो तो सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर यथायोग्य कार्मिकों की अधिप्राप्ति की जाय।

14.2.6 : विगत 2 वर्षो में मुख्य मदों के अन्तर्गत प्रगति

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली मृदा एवं जल संरक्षण योजना के अन्तर्गत जल कुण्ड निर्माण के अतिरिक्त विगत 02

वर्षों में कंटूर ट्रेन्च, चाल–खाल, धारा–नौला जीर्णोद्धार व चेक डैम निर्माण आदि कार्यों पर भी विशेष बल दिया गया है। जिनका विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:–

- 8561 चैक डैम एवं चाल–खालों का निर्माण।
- 2488 है0 क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच का निर्माण।
- रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट मद में अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत कोसी नदी के जीर्णोद्धार हेतु ₹ 5 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 2.00 करोड़ के कार्य सम्पादित।
- ₹ 135.67 लाख की लागत से वन्यजीवों से खेती की सुरक्षा मद के अन्तर्गत 13.67 कि0मी0 सूअर/हाथी रोधी दीवार निर्माण कार्य।
- ₹ 115 लाख की लागत से जंगली हाथियों से सुरक्षा हेतु लगभग 115 कि.मी. खाई खुदान कार्य एवं ₹ 92.71 लाख की धनराशि से लगभग 10 कि0मी0Solar Fencing कार्य।
- ₹ 146.94 लाख की लागत से 27 वन रक्षक/वन्यजीव रक्षक चौकियों का निर्माण कार्य।
- ₹ 1126.76 लाख की लागत से 2198 कि0मी0 वन मार्गों/अश्व मार्गों का रखरखाव कार्य।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए, निर्देशित किया गया कि कैम्पा के अन्तर्गत जो कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं, उसके उद्देश्यों एवं प्राप्त परिणामों का भी आंकलन करते हुए इसे समिति मे समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन से उस क्षेत्र की जलवायु/पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव एवं स्थानीय लोगों को हुए/होने वाले लाभों का आंकलन परिलक्षित हों। अर्थात् उनके द्वारा output के साथ outcome planning एवं monitoring पर भी बल दिये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यसूची संचालन समिति 14.3 : वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये गये अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्योत्तर स्वीकृति

समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि तेरहवीं संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि कैम्पा के अन्तर्गत यथा सम्भव पारम्परिक पद्धति से किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के स्थान पर ए.एन.आर. की प्रक्रिया से क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाय। उक्त के क्रम में वन विभाग द्वारा इस हेतु तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिस द्वारा निर्णय लिया गया है कि परम्परागत पद्धति से वृक्षारोपण किये जाने से ए.एन.आर. पद्धति से पूर्णतः अपनाये जाने की दिशा में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाय।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु पहले वर्ष अर्थात् इस चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 3000 है0 क्षेत्र में परम्परागत अग्रिम मृदा कार्य किये जाने एवं 500 है0 क्षेत्र में (250 है0 कुमांऊ जोन एवं 250 है0 गढ़वाल जोन) एन.एन.आर. के माध्यम से किये जाने का

निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात अगले वर्षों में इस हेतु गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ए.एन.आर. पद्धति से चरणबद्ध रूप से कार्य सम्पादित कराये जायेंगे। इस क्रम में वर्ष 2018–19 में क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों हेतु आवश्यक ₹ 1500 लाख की अतिरिक्त धनराशि को एन.पी.वी. के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से समायोजित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

संचालन समिति द्वारा उपरोक्त पर सहमति प्रदान करते हुए अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्तानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त संस्तुति उपरान्त वर्ष 2018–19 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का कुल आकार पूर्व में संचालन समिति द्वारा अनुमोदित ₹ 31830.00 लाख तक ही सीमित होगी। क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 का कुल आकार ₹ 31830.00 लाख तक सीमित रखते हुए इसमें निम्नानुसार घटकवार संशोधन किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया :–

क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग(लाख ₹ में)
5239.70	4348.60	19989.56	2252.13	31830.00

कार्यसूची संचालन समिति 14.4 : नमामि गंगे परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्यों का कैम्पा मद से वित्त पोषण विषयक

14.4.1 : मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के सदस्यगणों को नमामि गंगे परियोजना के तहत् वृक्षारोपण कार्यो का कैम्पा मद से वित्त पोषण किये जाने संबंधी भारत सरकार के पत्रांक 11–26/2017–18 दिनांक 22.11.2018 एवं पत्रांक–1–34/2012–कैम्पा दिनाक 19 अप्रैल, 2018 से अवगत कराया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्यों का कैम्पा निधि से वित्तपोषण एवं उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना में नमामि गंगे परियोजना के लक्ष्यों को भी सम्मिलित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है।

14.4.2 : समिति को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नमामि गंगे द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण अनुसार नमामि गंगे परियोजना में उत्तराखण्ड राज्य हेतु इसका सकल वित्तीय लक्ष्य ₹ 885.91 करोड़ है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य ₹ 223.97 करोड़ है, जिसके सापेक्ष एन0एम0सी0जी0 द्वारा ₹ 28.4938 करोड़ अनुमोदित किये हैं। इस प्रकार यदि इस परियोजना के कार्य कैम्पा से सम्पादित किये जाने हैं तो वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु लगभग ₹ 196.00 करोड़ के प्राविधान की आवश्यकता होगी।

14.4.3 : समिति अवगत हुई कि दिनांक 28.11.2018 को भारत सरकार में नमामि गंगे परियोजना सम्बन्धी बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा भारत सरकार को अवगत कराया गया है कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत यदि वित्त पोषण कैम्पा निधि से किया जाता है तो यह कैम्पा में

उत्तराखण्ड राज्य की धनराशि का एक बहुत बड़ा अंश होगा, साथ ही अनुरोध किया गया था कि इसके लिए वित्त संसाधनों को अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं की भांति भारत सरकार से उपलब्ध करवाया जाये। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा भी अपने पत्रांक–ख 2811/13–2(2) दिनांक 20.04.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नमामि गंगे एक केन्द्र पोषित परियोजना है, अतः उचित होगा इसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भारत सरकार से ही की जाए, इस परियोजना का कैम्पा से वित्त पोषण किया जाना उचित नहीं है।

14.4.4 : भारत सरकार के पत्रांक–12–4/2017–बी–(iii)-(NAEB)दिनांक 05.12.2018 से निर्गत उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त से भी समिति को अवगत कराया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा नमामि गंगे का वित्त पोषण कैम्पा निधि से न किये जाने हेतु राज्य की ओर से रखे गये पक्ष का उल्लेख किया गया है।

14.4.5 : उक्त प्रकरण को दिनांक 08.01.2019 को आयोजित उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष रखा गया था, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा निम्न तीन बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए इन्हें संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(i) नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों को पूर्ण करने हेतु, कैम्पा योजना पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के कारण कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित किए जाने वाले स्थल विशिष्ट एवं अन्य कार्यों को सम्पादित करने में वित्तीय कठिनाई आएगी एवं स्थल विशिष्ट कार्य विशेषकर क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति भी प्रभावित होगी।

(ii) नमामि गंगे परियोजना एक केन्द्र पोषित योजना है तथा अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं की भांति इसका भी वित्त पोषण का अधिकांश अंश केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के नियम सं0–5 (4) (i) के अनुसार "undertaking forest and wildlife conservation and other activities undertaken under other schemes of the Govt. for the purpose of part financing the scheme for completing left over works or complementary works of such schemes" पर कैम्पा अंतर्गत धनराशि व्यय करने पर प्रतिबन्ध है।

नमामि गंगे के उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नमामि गंगे द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों हेतु ₹ 36.22 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा नमामि गंगे के उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

- नमामि गंगे एक केन्द्र पोषित परियोजना है, अतः उचित होगा कि अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं की भांति इसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भारत सरकार से की जाये, इस परियोजना का कैम्पा से वित्त पोषण किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

- यद्यपि कैम्पा में भारत सरकार के नये प्राविधानों के तहत इसमें धनराशि का प्राविधान किया जाना सम्भव प्रतीत नही होता है किन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से इस में धनराशि की उपलब्धता न होने की स्थिति में भारत सरकार की इस महत्त्वपूर्ण परियोजना की गति अवरूद्ध हो जायेगी। अतः इस परियोजना के कार्यो की गति का क्रम बना रहे व जनमानस को इसका सतत लाभ मिलता रहें इसके दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि वर्तमान में इस धनराशि को कैम्पा से उपलब्ध करवाया जाये तथा भारत सरकार से यह अनुरोध किया जाये कि उनके स्तर से इसकी प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड कैम्पा को कर दी जाये।
- उक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नमामि गंगे को शीघ्र विवरण सहित प्रस्ताव/मांग प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्य सूची संचालन समिति 14.5 : उत्तराखण्ड कैम्पा में पदों का सृजन

14.5.1 : समिति को अवगत कराया गया कि प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(7) के अनुसार राज्य सरकार मुख्य वन संरक्षक स्तर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगें, जो कि राज्य प्राधिकरण के संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव होगें।

14.5.2 : समिति को उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा पूर्व में उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु सृजित पदों/कार्यरत पदों की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया गया।

14.5.3 : समिति को अवगत कराया गया कि प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 11(4) के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्यो को संचालित करने हेतु निम्न पदों पर अधिकतम 5 वर्षो हेतु नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान है:–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01
2	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	01
3	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01

उक्त से अवगत होते हुये समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से उपरोक्त प्रतिनियुक्ति आधारित पदो पर, अधिकारियों की उपलब्धता अनुसार तैनाती हेतु कार्यवाही की जायेगी।

14.5.4 : उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 11(5) के अंतर्गत कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्यो को सहायता प्रदान करने हेतु न्यूनतम सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी नियुक्त करने तथा अधिनियम की

धारा 18(iv) के अंतर्गत संचालन समिति को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के आधार पर कार्यकारी समिति द्वारा सृजित पदों की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है।

14.5.5 : वर्तमान में नये प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के लागू होने के फलस्वरूप धारा–11(4) में उल्लिखित पदों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन, क्षेत्रीय सूचनाओं की समानान्तर रिपोर्टिंग तथा क्रियान्वयन इकाईयों के सहयोग के दृष्टिगत पूर्व में स्वीकृत उपरोक्त पदों सहित उत्तराखण्ड कैम्पा का सम्पूर्ण ढ़ांचे का स्वरूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा को परियोजना प्रबन्ध इकाई के रूप में और सुदृढ़ किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। अतः उक्त पर विचार विमर्श उपरांत नव गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण, उत्तराखण्ड हेतु निम्न पदों के सृजन हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
वर्तमान में कार्यरत/विद्यमान पद			
1	प्रबन्धक–पर्यवेक्षण एवं विश्लेषण	01	प्रतिनियुक्ति
2	प्रबन्धक–प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन	01	वाहय स्रोत/संविदा आधारित
3	सहायक प्रबन्धक–सूचना प्रौद्योगिकी	01	–तदैव–
4	लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी	01	–तदैव–
5	लेखाकार	01	–तदैव–
6	वैयक्तिक सहायक/वैयक्तिक अधिकारी	01	प्रतिनियुक्ति
7	तकनीकी सहायक	01	प्रतिनियुक्ति
8	वरिष्ठ परियोजना सहायक	03	वाहय स्रोत/संविदा आधारित
9	परियोजना सहायक	04	–तदैव–
10	वाहन चालक	02	–तदैव–
11	अनुसेवक/पी0आर0डी0	04	–तदैव–
नये सृजित पद			
11	प्रबन्धक कैम्पा, गढ़वाल जोन–प्रतिनियुक्ति/अन्यथा की स्थिति में संविदा पर (सहायक वन संरक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी)	01	गढ़वाल मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों के वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन, स्वीकृत ए0पी0ओ0 के अनुसार प्रगति का अनुश्रवण, क्षेत्रीय कार्मिकों के साथ निरन्तर समन्वय, कैम्पा एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच प्रगति का अनुश्रवण इत्यादि।
12	प्रबन्धक कैम्पा, कुमांऊ जोन–प्रतिनियुक्ति/अन्यथा की स्थिति में संविदा पर (सहायक वन संरक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी)	01	कुमांऊ मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों के वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन, स्वीकृत ए0पी0ओ0 के अनुसार प्रगति का अनुश्रवण, क्षेत्रीय कार्मिकों के साथ निरन्तर समन्वय, कैम्पा एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच प्रगति का अनुश्रवण इत्यादि।
13	सहायक प्रबन्धक, गढ़वाल जोन–प्रतिनियुक्ति/अन्यथा की स्थिति में	01	गढ़वाल मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों को क्षेत्रीय सहयोग, सूचनाओं का संकलन, एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर समयान्तर्गत

	संविदा पर (वन क्षेत्राधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी)		डाटा फीडिंग हेतु सहयोग, वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन समन्वयक गढ़वाल को प्रदत्त दायित्वों में सहयोग एवं कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
14	सहायक प्रबन्धक, कुमांऊ जोन–प्रतिनियुक्ति/अन्यथा की स्थिति में संविदा पर (वन क्षेत्राधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी)	01	कुमांऊ मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों को क्षेत्रीय सहयोग, सूचनाओं का संकलन, एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर समयान्तर्गत डाटा फीडिंग हेतु सहयोग, वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन समन्वयक कुमांऊ को प्रदत्त दायित्वों में सहयोग एवं कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
15	मानचित्रकार (प्रतिनियुक्ति/संविदा पर)	01	वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्यों का तकनीकी परीक्षण एवं कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
16	मुख्य परियोजना सहायक–प्रतिनियुक्ति/अन्यथा की स्थिति में संविदा पर (प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से अनिम्न स्तर– कम से कम 10 वर्ष का अनुभव)	02	विभिन्न पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण, समय–समय पर विधान सभा/लोकसभा सम्बन्धी प्रश्नों पर कार्यवाही, मुख्यमंत्री घोषणा सम्बन्धी कार्यवाही, विभिन्न पत्रावलियों के रख–रखाव, अभिलेखीकरण तथा प्राधिकरण के विधिक तथा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु।
17	जी0आई0एस0 एनालिस्ट (संविदा पर)	01	सेटेलाइट इमेजरी आधारित अनुश्रवण एवं समस्त स्थल विशिष्ट कार्यों का परीक्षण यथा–वनीकरण, निर्माण कार्य आदि। ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर सही पॉलीगन की प्रविष्टि एवं जांच सुनिश्चित करना। सम्बन्धित स्टाफ को प्रशिक्षित एवं क्षेत्रीय स्टाफ को सहयोग देना। ई–ग्रीन वॉच सम्बन्धी समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण तथा कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
18	वित्त सहायक (प्रतिनियुक्ति/अन्यथा की स्थिति में संविदा पर)	01	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर बजट तैयार करना, राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना में योगदान, मदवार अवमुक्त धनराशि एवं स्वीकृति, क्रिया0 अभि0 के स्तर से प्राप्त मासिक लेखों का अध्ययन एवं प्राप्त विसंगतियों की रिपोर्टिंग एवं उनके साथ समन्वय, नये प्राविधानों के तहत वित्त/बजट सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन।
19	बजट/क्षेत्रीय सहायक (संविदा पर)	02	बजट सम्बन्धी कार्यों में योगदान, मदवार अवमुक्त धनराशि एवं स्वीकृति, प्राप्त मासिक लेखों में विसंगति की स्थिति में पत्र तैयार करना, क्षेत्र भ्रमण दौरान प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक तथा उच्चाधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना तथा उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित की पृष्ठभूमि वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें बजट, पत्राचार एवं आवश्यकता पर वन विभाग में फील्ड सम्बन्धी गतिविधियों में स्वयं अथवा सहायक के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हों।

14.5.6 : विस्तृत चर्चा उपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त पर सहमति व्यक्त करते हुए कैम्पा के अन्तर्गत प्रबन्ध इकाई को और सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

- उपरोक्त प्रस्ताव के सापेक्ष प्रथम चरण में प्रतिनियुक्ति आधारित पदों को विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाय। समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में सेवानिवृत्त अधिकारियों को उपरोक्त पदों के सापेक्ष वांछनीय योग्यता के आधार पर 65 वर्ष की

आयु तक तैनात किये जाने अथवा उक्त पदों के सापेक्ष वांछनीय योग्यता के आधार पर संविदा पर कार्मिकों की तैनाती किये जाने का निर्णय लिया गया।

- कैम्पा कार्यों का अनुश्रवण उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के स्तर से भी किये जाने तथा प्रत्येक प्रकार के कार्यों का समानान्तर अनुश्रवण किये जाने के उद्देश्य से कैम्पा में सूचना प्रौद्योगिकी, नियोजन एवं कैम्पा की तकनीकी टीम को अधिक सशक्त किया जाय। इसके लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा कैम्पा में पूरा एक सेल गठित किये जाने एवं इसके अन्तर्गत तकनीकी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति अथवा आउटसोर्सिंग अथवा खुल बाजार से अनुबन्ध अथवा परामर्शी के रूप में अधिप्राप्ति किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
- मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि कैम्पा में आवश्यकता के आधार पर विषय विशेषज्ञों की निर्धारित अवधि (अधिकतम 11 माह) हेतु विशिष्ट शर्तों (Specific ToR) के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से परामर्शी के रूप में अधिप्राप्ति की जाय।
- उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार सहायक के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राईवर, अर्दली आदि संविदा/आउटसोंसिंग के माध्यम से अधिप्राप्ति के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा अधिकृत होगे।
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1044/x–4–18/3(02)/20018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 (नये अधिनियम लागू होने की तिथि) से पूर्व कार्यरत अधिकरी व कर्मचारी प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 की धारा–11(5) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के उपरांत नई व्यवस्था के अन्तर्गत नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण में यथावत् कार्य किये जाने संबधी अधिसूचना जारी की गई है।
- समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा में वर्तमान में कार्यरत पदों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए, कैम्पा कार्यों के प्रभावी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय को और सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टिगत उपरोक्त नये प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए संविदा आधारित पदों में आवश्यकतानुसार चरणबद्ध रूप से अधिप्राप्ति किये जाने के निर्देश दिये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त अतिरिक्त पदों हेतु मुख्य कार्यकरी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय। भविष्य में इसके अतिरिक्त भी यदि पदों की आवश्यकता/स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो शासन के समक्ष औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

कार्य सूची संचालन समिति 14.6 : वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना

14.6.1: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को उत्तराखण्ड कैम्पा के वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्तावित आकार को मध्यनजर रखते हुए उत्तराखण्ड सरकार के बजट में विभिन्न मदों में किये गये ₹ 27500 लाख की धनराशि के परिव्यय/प्राविधान हेतु उत्तराखण्ड शासन को

प्रेषित अनुरोध पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिसका विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

कम संख्या	लेखा शीर्षक	मद / उपमद का नाम	वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित बजट (धनराशि लाख ₹)
1	2406-04-103-02-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण तथा मृदा एवं जल संरक्षण**	4500.00
2	2406-04-103-03-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य एवं दण्डित वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य**	15000.00
3	2406-04-103-04-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)**	3000.00
4	2406-04-103-05-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यकम**	2500.00
5	2406-04-103-07-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**अन्य वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र विकास, वृक्षों का पातन, चार दीवारी, अन्य–1 एवं अन्य–2**	1500.00
		योग–(क)	**26500.00**
6	2406-04-103-06-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**ब्याज**	1000.00
		योग–(ख)	**1000.00**
कुल प्रस्तावित बजट योग–(क + ख)			**27500.00**

14.6.2 : सदस्य सचिव संचालन समिति द्वारा समिति को अवगत कराया कि उक्तानुसार वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना को दिनांक 08 जनवरी, 2019 को उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में समिति समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कार्यकारी समिति द्वारा क्रियान्वयन इकाईयों की व्यय की प्रगति सम्बन्धी गत वर्षों के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना को ₹ 17500.00 लाख तक ही सीमित कर संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्णय के क्रम में, उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा संस्तुत ₹ 17500.00 लाख की कार्ययोजना को समिति के समक्ष रखा गया।

14.6.3 : उक्त कार्ययोजना में प्रस्तावित गतिविधियों पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार लिए गये निर्णय के क्रम में नमामि गंगे परियोजना हेतु अतिरिक्त **₹** 3622.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किये जाने तथा वनाग्नि सुरक्षा, कैट प्लान, वन पंचायत सुदृढ़ीकरण तथा एन.पी.वी. के अन्तर्गत अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना में अतिरिक्त प्राविधान किये जाने के दृष्टिगत संचालन समिति द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु कुल **₹ 21800.00 लाख** की

कार्ययोजना (₹ 1000.00 लाख अर्जित ब्याज की धनराशि से प्राविधानित गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए) हेतु सहमति प्रदान की गयी।

वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मुख्य गतिविधियों को संचालन समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

- क्षतिपूरक वनीकरण के अवशेष लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित लक्ष्यों के आधार पर वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 3500.00 है0 के लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं।
- प्रस्तावित लक्ष्यों में चारधाम एवं ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लिंक सम्बन्धी प्रस्तावों के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। इन विशिष्ट परियोजनाओं में कुल 1657.41 है0 में किये जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में 675.89 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण किया गया व वर्ष 2019–20 हेतु 250 है0 क्षेत्र में वनीकरण प्रस्तावित है।
- प्रदेश में संचालित विभिन्न कैट प्लानों हेतु वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना हेतु ₹ 1800 लाख की धनराशि प्राविधानित की जा रही है।
- मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता अनुसार मृदा एव जल संरक्षण सम्बन्धी महत्वकांक्षी योजना को प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कैम्पा द्वारा विगत वर्षो में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गया है।इसी क्रम में वर्ष 2019–20 में इस पर और अधिक ध्यान देते हुए ₹ 450 लाख की लागत से विभिन्न क्षमताओं के 1600 जलकुण्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग ₹ 7.0 करोड़ लीटर जल ग्रहण क्षमता विकसित होने का अनुमान है।

  मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत नदियों को पुर्नजीवित किये जाने के उददेश्य से वर्ष 2018–19 में कोसी नदी का उपचार कार्य प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप, इसी आधार पर वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के अन्तर्गत भी रिवर फ्रन्ट डैवलपमेन्ट मद में कोसी, रिस्पना व अन्य नदियों के जीर्णोद्वार हेतु ₹ 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

  इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत सूख रहे जल स्रोतों के पुनरोद्धार, कन्टूर ट्रेन्चों के निर्माण इत्यादि अन्य कार्यों हेतु मृदा एवं जल संग्रहण मद में उपरोक्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 2000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान की जा रही है।
- उत्तराखण्ड में विद्यमान बुग्यालों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता के दृष्टिगत बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर विषेश ध्यान दिये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना में बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु ₹ 400.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्य प्रस्तावित कार्य जैसे–(खरपतवार उन्मूलन, वानस्पतिक अवरोधक निर्माण, शाकीय पौधों का बीज छिड़काव, रोटेशनल ग्रेजिंग, एंटीपोचिंग एवं बुग्याल संरक्षण हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आदि कार्य)।

- राज्य में बन्दर जनित समस्या के निवारण के दृष्टिगत मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु उत्पाती बन्दरों को पकड़ने, उनका बन्ध्याकरण करने, बन्दरबाड़ा निर्माण आदि कार्यों हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत ₹ 400 लाख की धनराशि प्राविधानित की जा रही है।

वर्ष 2019–20 हेतु कुल **₹ 20800.00 लाख** की वार्षिक कार्ययोजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0 (वन पंचायत)	एन0पी0वी0 (अन्य)	अन्य	कुल योग (लाख ₹ में)
4500.00	1800.00	1500.00	12200.00	800.00	20800.00

वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के उक्त घटकों के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों को समिति के समक्ष से निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

(Amount in lakh)

S. No	Head	Unit	APO 2019-20	
			Phy	Fin
COMMITTED ACTIVITIES				
	COMPENSATORY AFFORESTATION			
1	Advance Soil Work - CA & ANR (500 hac.)	Rs. 70000/ ha	3500	2450.00
2	CA Plantation against special projects - (All weather road , Railway link road)	Rs. 40000/ha	250	100.00
3	Plantation - CA	Rs. 26000/ ha	3000	780.00
4	Plantation Maintenance -CA	Rs. 10000/ha	8000	800.00
5	Nursery Maintenance -CA		5000000	220.00
6	Nursery Raising-CA		2150000	150.00
	Total In Compensatory Afforestation			4500.00
	CATCHMENT AREA TREATMENT PLANS			
	CAT PLAN			
1	Tapovan-Vishnugad	LS	LS	172.20
2	Lata-Tapovan	LS	LS	22.97
3	Singoli-Bhatwari	LS	LS	4.35
4	Phatta-Byung	LS	LS	23.95
5	Srinagar H.E.P.	LS	LS	56.17
6	Lakhwar H.E.P.	LS	LS	700.00
7	Vishnugad-Pipalkoti	LS	LS	470.50
8	Mori - Naitwar	LS	LS	68.20
9	Vyasi H.EP	LS	LS	250.80
10	CAT PMU	LS	LS	30.86
	Total In C.A.T. Plan			1800.00
	OTHER SPECIFIED ACTIVITIES			
	Road Side Plantation			
1	Advance Soil Work for Road Side Plantation	ha/R.km.	20	13.60

S. No	Head	Unit	APO 2019-20	
			Phy	Fin
2	Plantation - Road Side Plantation	ha/R.km.	2428	62.84
3	Maintenance - Road Side Plantation	ha	2	0.41
	Sub-Total			**76.85**
	Gapfilling Plantation			
1	Advance Soil Work for Gap Filling Plantation	ha	220	189.49
2	Plantation - Gap Filling Plantation	ha	3627	15.92
3	Maintenance - Gap Filling Plantation	ha	30.88	3.96
	Sub-Total			**209.37**
	Dwarf Species Plantation			
1	Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	ha	171.63	120.13
2	Dwarf Species Plantation	ha	1.38	72.40
3	Nursery Raising for Dwarf Species Plantation	Plants	300000	21.25
	Sub-Total			**213.78**
	Work against Collection of minor Minerals			
	River Training Works/ Demarcation and Fuel Wood	Nos.	200	300.00
	Sub-Total			**300.00**
	Total in Other Specified Activity			**800.00**
	NET PRESENT VALUE			
	Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development			
1	Boundary Pillars (New)	Nos.	1190	50.00
2	Construction of New FG/Forester/Mali Chowki	Nos	75	600.00
3	Construction of High Altitude Patrolling Shelter	Nos.	50	100.00
4	Development of SFPG at Sensitive & High Altitude areas	Nos.	85	100.00
5	Fire Arms Purchase	Nos.	111	49.90
6	Forest Fire Management (Maintenance of Fire lines (2032.28 km), Fire Watcher (897 Watcher), Crew Stations (140 Stations), Hiring of vehicles for fire season only (85 vehicles), wireless Repeater/base station (9 Repeater).	LS	LS	800.00
7	Modernizing of Strategic Barrier	Nos.	18	50.00
8	Protection of Bugyals through Local Community	ha	150	400.00
9	Renovation of Existing Building (upto range level) /Maint. Of forest rest houses	Nos	100	150.00
10	Repair of Bridle Path/Forest Road/ inspection paths	Km	1000	500.00
11	**Survey & Demarcation	Ha	8223	48.44
	Sub-Total			**2848.34**
	Strengthening of Wildlife Management			
1	Anti Poaching related activities	LS	32	100.00
2	Construction & Maint. of rescue / rehabilitation center (Subject to meeting all statutory requirements)	Nos.	4	400.00
3	Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	125	70.00
4	Elephant Trenches	Km	502	88.00
5	Estimation of wildlife populations	Nos.	10	48.40
6	Fencing (Solar , Thorny etc)	Km	30	150.00

S. No	Head	Unit	APO 2019-20	
			Phy	Fin
7	High Altitude and Long Distance Patrolling	Km.	673	100.00
8	Human Wildlife Conflict Resolution (Monkey Catching, Sterilization,Cages)	Nos.	LS	400.00
9	Habitat Improvement / Lantana Removal	ha	3000	200
10	Lantana Removal Maintenance	ha	310	100
11	Provision of food for wild animals at rescue / rehabilitation center	Nos.	4	35.00
12	Stone/Concrete walling at Critical boundaries (Wild boar proof wall)	KM	19	150.00
13	Strengthening of wildlife conservation	LS	8	8.70
14	Wildlife Veterinary Care / Postmortem Expense	Nos.	LS	88.70
15	Urgent WL activities and emergencies etc.	LS	LS	50.00
	Sub Total			**1988.80**
	Forestry Research			
1	Modern seed storage facility for important nurseries	Nos.	6	34.40
2	Collaborative Research	Nos.	1	16.65
3	Demonstration plots & trails of need based initiatives	Nos.	2	83.50
4	Development of Nursery Techniques	LS	LS	8.00
5	Establishment/Maintenance of Seed Plots/Orchards	Nos.	1	3.70
6	Strengthening of Research Cell & Up-gradation of laboratory	Nos.	2	34.20
	Sub Total			**180.45**
	Trainings and Capacity building			
1	Training workshop and Capacity Building	Nos.	100	100.00
	Sub Total			**100.00**
	Other Activities			
1	Operational Expenses	LS	LS	100.00
2	Contingency at PCCF(HoFF) level	LS	LS	100.00
3	ASW for Bamboo, Ringal and other Natural Grasses	Nos.	145	77.47
4	Bamboo Nursery and Bambusetum and their maintenance	Nos.	44	10.48
5	Creation and maint. of herbal garden, Development of Medicinal Plants	Hac.	90	56.34
6	High Tech. Equip. for enhanancement of Enforcement	Nos	40	55.00
7	Automation and Strengthening of Department by implementation of Information and Communication Technology	LS	8	100.00
8	Miscellaneous Works		3	20.00
9	Monitoring And Evaluation	LS	LS	100.00
10	Non-Conventional and Renewable Energy (Solar/Wind etc.)	Nos	50	50.00
11	Public Awareness & Publicity Extension	LS	LS	80.00
12	Revision of working plans and wildlife management plans	Nos.	9	239.90
13	Strengthening of clusters of Bamboo, Ringal, Natural Fiber and grasses	Nos.	49 clusters	3.19
14	Strengthening of training institute	Nos.	6	50.00
15	Support to Project Management Unit (PMU)	Nos.	LS	1.00
	Sub-Total			**1043.38**
	Plantation under NPV			
1	Community Plantation and Mobilization (Harela / Van Mahotsav etc.)	LS	LS	100.00
2	Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	2000	150.00

S. No	Head	Unit	APO 2019-20	
			Phy	Fin
3	Maintenance - Deodar Plantation	ha	120	13.88
4	Maintenance - Oak Plantation	ha	167	14.70
5	Maintenance of Deodar Nursery	Nos.	60899	2.58
6	Maintenance of Oak Nursery	Nos.	67753	3.17
7	Nursery Raising - Deodar Plants	Nos.	185825	13.92
8	Nursery Raising - Oak Plants	Nos.	501000	18.78
9	Other Plantations under NPV			
	(i) as per demand received from IAs	Nos.	4000	100.00
	(ii) Provision for Plantation works under Namami Gange Project		1900	3622.00
	Sub-Total			**4039.03**
	STRENGTHENING OF VAN PANCHAYATS			
1	Forest Fire Protection in VP's		7000	500.00
2	Strategic Planning and Strengthening of Van Panchayats	LS	LS	1000.00
	Sub-Total (Van Panchayats)			**1500.00**
	Soil And Water Conservation			
1	Contour Trenches	ha	2485	200.00
2	Creation of water bodies	Nos.	1600	450.00
3	Maintenance of existing water Bodies	Nos.	200	100.00
4	Rejuvenation of Water Sources (Dhara, Naula)	Nos.	350	250.00
5	River front development (Koshi, Rishpna & other rivers-catchment area treatment part only,)	Nos.	LS	500.00
6	Soil & Water Conservation Measures (Chal-Khal, Chackdam, Percolation pit)	Nos.	9400	500.00
	Total- Soil And Water Conservation			**2000.00**
	Total- NPV			**13700.00**
	Grand Total			**20800.00**
	**** Provision for updating of GIS based decision support database under Survey & Demarcation head (proposal received from Nodal Office)**			

उपरोक्त धनराशि में प्रत्येक मद में 2 प्रतिशत तक की धनराशि उस कार्य के निरूपण, क्रियान्वयन, निरीक्षण आदि हेतु आनुषांगिक/आकस्मिक व्यय के रूप में व्यय की जा सकेगी।

उक्त के अतिरिक्त ₹ 1,000.00 लाख की धनराशि कैम्पा प्रबन्धन (कैम्पा स्टाफ के वेतन, भत्ते एवं अन्य कार्यालय कार्यों) तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी दरों की सम्पूर्ति (क्षतिपूरक वनीकरण, जल समेट क्षेत्र उपचार, वन्य जीव प्रबन्धन गतिविधियों में) हेतु प्राविधानित है।

संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2019–20 हेतु मुख्य घटकों के अन्तर्गत उक्तानुसार कुल ₹ 20800.00 लाख की धनराशि तथा कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से ₹ 1000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान (कैम्पा के प्रबन्धन एवं इसके अन्तर्गत अधिनियम में प्राविधानित गतिविधियों हेतु) करते हुए, **कुल ₹ 21800.00 लाख** की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 14.7 : उत्तराखण्ड कैम्पा की वित्तीय वर्ष 2017–18 की बैलेन्स शीट/वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा तैयार वर्ष 2017–18 की बैलेन्स शीट/वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 14.8 : अन्य बिन्दु

- अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा कैम्पा के अन्तर्गत जिन क्रियान्वयन अभिकरणों से सम्बन्धित वित्तीय/प्रशासनिक अनियमित्ताओं के मामले प्रकाश में आये हैं, उन पर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित रिपोर्ट/जानकारी उन्हें पृथक से उपलब्ध कराई जाये।
- अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण अधिनियम 2016 एवं इसके क्रम में निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली 2018 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए ही कैम्पा के अन्तर्गत कार्ययोजना के निरूपण से लेकर, निधि के वित्तपोषण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायें। अधिनियम लागू होने का यह प्रथम वर्ष है अतः इन्हें पूर्ण सावधानी के साथ क्रियान्वित किया जाये।
- कैम्पा निधि के अन्तर्गत जो धनराशि जमा होती है, वह गैर वानिकी कार्यों हेतु राज्य की अमूल्य धरोहर वनों की क्षतिपूर्ति के एवज में प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा करायी जाती है, अतः इसका स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण सदुपयोग किया जाना प्रत्येक स्तर की नैतिक जिम्मेदारी है।
- अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा कैम्पा अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की Output के साथ–साथ Outcome based Monitoring पर जोर दिये जाने व इस हेतु विशेषज्ञों/परामर्शी की मदद लिये जाने जाने के निर्देश दिये गये।
- क्रियान्वयन अभिकरण इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखे कि वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के अधीन चयनित/निर्धारित स्थलों तथा माप दण्डों के अनुसार ही इन मदों के अन्तर्गत समस्त कार्य संपादित किये जाये।
- कैट प्लान का मूल उद्देश्य उस क्षेत्र के चयनित जलागम एवं उप जलागम क्षेत्रों में उपचार कर, जल विद्युत परियोजनाओं में गादरहित सत्त जल प्रवाह बनाये रखना एवं भू–क्षरण की रोकथाम करना है। प्रदेश के अन्तर्गत संचालित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के प्रारम्भ होने से पूर्व ही परियोजना की कुल आंकलित धनराशि का 2 प्रतिशत कैट प्लान में जलागम एवं उस क्षेत्र के नागरिकों की आजीविका सम्बन्धी गतिविधियों के लिये निर्धारित होता है व यह धनराशि तत्समय ही भारत सरकार में जमा करा दी जाती है।

उक्तानुसार कैट प्लान की समीक्षा में यह देखने में आया है कि सम्बन्धित जल विद्युत परियोजना की नोडल प्रभाग द्वारा कैट प्लान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समयान्तर्गत तैयार न होने के कारण कैट प्लान की इस धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग नही हो पाया है। इससे न केवल उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के हितों की हानि होती है अपितु समयावधि बढ़ने से परियोजना की निर्धारित लागत भी बढ़ जाती है, परिणामतः इस मद में निर्धारित धनराशि के अन्तर्गत ही कार्य सम्पादित किये जाने होते हैं एवं इससे लक्ष्यों की पूर्ति पर भी असर पड़ता है।

अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि क्षतिपूरक वनीकरण की भांति कैट प्लान भी कैम्पा की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली गतिविधि है, अतः इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसके अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को मानकों के अनुरूप एवं निधारित अवधि के अन्तर्गत सम्पादित किया जाय।

- कैम्पा सम्बन्धी समस्त कार्यों की तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अतिरिक्त समय-समय पर विभाग में प्रत्येक स्तर से अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग की जाय। कैम्पा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की समान्तर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी इसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग कर यथास्थिति से उच्च स्तर को अवगत कराते रहें।
- अध्यक्ष संचालन समिति/मुख्य सचिव महोदय द्वारा वनाग्नि काल से पूर्व समस्त क्रियान्वयन इकाईयों को फायर लाइनों के रखरखाव, क्रू स्टेशनों को स्थापित/मरम्मत करने, वनाग्नि सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को व्यवस्थित करने तथा वनाग्नि सुरक्षा सम्बन्धी समस्त तैयारियां पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत शीघ्र सम्बन्धित वन प्रभागों को वनाग्नि एक्शन प्लान के प्राविधानों अनुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही वन पंचायतों को भी यथाशीघ्र वनाग्नि सुरक्षा हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय ताकि वे भी पूर्ण मनोबल से अपने वनों की सुरक्षा में सहभागिता दे सकें।
- कैम्पा के नये प्राविधानों के लागू होने का यह प्रथम वर्ष है, अतः इसमें भारत सरकार द्वारा निर्गत लेखा प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाय ताकि किसी भी प्रकार से वित्तीय मामलों में असहज स्थिति न उत्पन्न हो सके। समस्त सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को भी नये अधिनियम, नियमावली तथा लेखा प्रक्रिया से अवगत कराया जाय एवं उन्हें भी इसका कठोरता से पालन करने हेतु निर्देशि जारी किये जायें। उक्त समस्त अधिसूचनाओं को राज्य प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी तद्नुसार अपलोड किये जायें।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव,
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 446/ 13–2(14) दिनांक, देहरादून, 28 फरवरी 2019

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा॰ वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ वन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

28/2/19
(डॉ. समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 446(1)/13–2(14) दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
4. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
6. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
7. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
8. प्रमुख सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
9. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
10. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
11. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
12. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण एवं सदस्य– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
14. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति
15. नोडल अधिकारी–राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

28/2/19
(डॉ. समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 446 (2)/13–2(14) दिनांकित।

प्रतिलिपि :–वन महानिरीक्षक, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–~~एडहॉक~~ कैम्पा, इन्दिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।

28/2/19
(डॉ. समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।